वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2010-11

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

एस.एस.ओ. बिल्डिंग

शासन सचिवालय, जयपुर

प्राक्कथन

जिस समय मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषण की गई उस समय भारत का संविधान निर्माणाधीन था। भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारो के रूप में भाग-4 में नीति निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में मानवाधिकारो की अवधारणा को समाविष्ट किया गया है।

जहां तक मानव अधिकार संरक्षण की बात है यह तभी सम्भव है, जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ-साथ कर्तव्य निर्वहन के लिये भी जागरूक रहे। जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आयेगी, इसके लिये हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को भी समझना होगा। समर्थ लोग तो अपने अधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है, परन्तु हमें हर वर्ग तथा खास तौर पर पीडित, दलित, उत्पीडित, कमजोर वर्ग एवं बच्चों तथा महिलाओं के अधिकारो के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। मानव अधिकार विश्वव्यापी अधिकार है, जो जाति धर्म, भाषा, लिंग और समुदाय के भेदभाव से परे है।

देश में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियां तथा अंध विश्वास प्रचलित है। जातिगत भेदभाव और जाति पंचायती बहिष्कार जैसी पिछडी मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि यह सबकि सब बहुत जटिल समस्याऐं है। इसके अलावा कुछ लोगों द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमें आज भी मानवाधिकारों के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रसास है कि आयोग में प्राप्त होने वाली शिकायतों के अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होने पर भी आमजन के मानवाधिकारों की रक्षा की जावें। आयोग द्वारा समय-समय पर कार्यशालाऐं आयोजित की जाकर सरकारी अध्यापकों, कॉलेज, विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से आम नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती रही है। जिसके फलस्वरूप मानवाधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ उनके हनन को रोकने में भी मदद मिल रही है।

मानवाधिकार आयोग द्वारा समय-समय पर जेलों, छात्रावासों, बालसुधार गृहों तथा शिशुपालना गृहों का निरीक्षण किया जाता है तथा इनमें सुधार के सुझाव एवं उपाय राज्य सरकार को भेजे जाते है। यह खुशी की बात है कि राज्य सरकार आयोग के सुझावों पर ध्यान देकर उन पर आवश्यक कार्यवाही करती है। आयोग का भी प्रययास रहता है कि वह सुशासन में राज्य सरकार की मद्द करें।

(पुखराज सीरवी)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	माननीय अध्यक्ष/सदस्यगण/अधिकारीगण का विवरण	1
2.	पदों का विवरण एवं बजट प्रावधान	2
3.	आयोग में प्राप्त एवं निर्णित प्रकरणों का विवरण	3-5
4.	महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा-निर्देश	6-31
5.	माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगणों द्वारा प्रचार-प्रसार कार्यक्रम	32-33
6.	माननीय अध्यक्ष/सदस्यगण/अधिकारीगणों के टेलीफोन नं. एवं आवाटन का पता	34

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

01.04.2010 से 31.03.2011 तक आयोग में कार्यरत माननीय अध्यक्ष,
माननीय सदस्यगण एवं अधिकारी गण का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	जस्टिस श्री नगेन्द्र कुमार जैन	अध्यक्ष	16.07.2005 से 15.07.2010
2.	जस्टिस श्री जगत सिंह	सदस्य	10.10.2005 से 09.10.2010
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य	07.07.2005 से 06.07.2010
4.	श्री पुखराज सीरवी	सदस्य	15.04.2006 से लगातार
5.	श्री रविशंकर श्रीवास्तव	सचिव	05.04.2010 से लगातार
6.	श्री के. नरसिम्हाराव	आई.जी.पुलिस	06.07.2009 से 05.04.2010
7.	श्री जंगा श्रीनिवास राव	आई.जी.पुलिस	05.04.2010 से लगातार
8.	श्री श्यामलाल गुप्ता	उप सचिव	07.01.2009 से 02.06.2010
9.	श्री विक्रम प्रकाश शर्मा	उप सचिव	03.06.2010 से लगातार
10.	श्री विक्रम प्रकाश शर्मा	उप पंजीयक	10.08.2007 से लगातार

नोट :- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं अन्य राज्यों के मानव अधिकार आयोगों की तर्ज पर इस आयेाग में लीगल विंग न होने, , योग्यताधारी कम्प्यूटरकर्मियों एवं उपकरणों की कमी तथा कार्यालय कर्मियों के पदों की कमी होने के कारण आयोग के कार्यो को सुचारू रूप से लागू करने में कठिनाइयां आ रही है। प्रतिवेदन 2003-04 से 2009-10 तक की रिपोर्टस में भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, परन्तु इस सबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

आयोग में वर्ष 2010-11 में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	वेतनमान
1.	अध्यक्ष	1	-	1	90,000.00 स्थिर
2.	सदस्य	2	1	1	80,000.00 स्थिर
3.	सचिव	1	1	-	37,400-67,000
4.	महानिरीक्षक पुलिस	1	1	-	37,400-67,000
5.	उप सचिव	1	-	1	15,600-39,100
6.	उप पंजीयक	1	1	-	15,600-39,100
7.	निजी सचिव	4	1	3	9,300-34,800
8.	लेखाकार	1	1	-	9,300-34,800
9.	कार्यालय अधीक्षक	1	-	1	9,300-34800
10.	निजी सहायक	4	2	2	9,300-34800
11.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	-	9,300-34800
12.	वरिष्ठ लिपिक	6	5	1	9,300-34800
13.	कनिष्ठ लिपिक	4	3	1	9,300-34800
14.	वाहन चालाक	5	5	-	9,300-34800
15.	च.श्रे. कर्मचारी	8	8	-	5,200-20200
16.	होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक	3	3	-	

राजस्थान राज्य मानवा अधिकार आयोग के कार्यो के संचालन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्तीय प्रावधान एवं वास्तविक व्यय

क्र.सं.	बजट शीर्ष	उप मद	वर्ष 2010-11	
			आबंटित प्रावधान	वास्तविक व्यय (रू. लाखों में)
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	वेतन भत्ते अन्य व्यय	188.75 19.50	179.74 19.47

1 अप्रेल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक कुल प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का जिलेवार/विषयवार वर्गीकरण

क्र. सं.	जिले का नाम	बालक से संबंधित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	आपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से संबंधित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से संबंधित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02)	धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से संबंधित (1000.01 से (1000.05)	विविध (1001.01 से (1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01) से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अजमेर	1	1	8	9	0	1	27	0	1	5	14	76	143
2.	अलवर	1	0	2	5	0	7	53	1	1	8	5	33	116
3.	बारां	0	0	0	7	0	0	13	0	0	5	5	29	59
4.	बांसवाड़ा	1	0	0	6	0	0	16	0	1	6	2	28	60
5.	बाड़मेर	0	0	0	3	0	2	13	0	1	2	7	58	86
6.	भरतपुर	1	0	3	15	1	4	61	2	1	6	11	81	186
7.	भीलवाड़ा	0	0	0	11	2	2	36	1	2	2	5	89	150
8.	बीकानेर	2	1	16	2	0	0	14	0	0	2	19	45	101
9.	बूंदी	0	0	0	7	0	0	14	0	0	2	9	42	91
10.	चित्तौड़गढ़	0	0	0	6	0	0	16	0	1	1	2	52	78
11.	चूरू	0	0	0	3	0	2	7	0	1	3	1	17	34
12.	दौसा	0	0	2	9	0	3	22	0	2	8	8	22	76
13.	धौलपुर	0	0	0	21	0	1	37	0	0	3	6	43	111
14.	डूंगरपुर	0	0	0	2	0	1	5	0	0	3	3	15	29
15.	हनुमानगढ़	1	0	3	2	0	2	19	0	0	6	7	40	80
16.	श्रीगंगानगर	0	0	2	5	0	2	22	0	0	4	16	74	125
17.	जयपुर	14	11	36	22	1	4	177	2	0	47	79	281	674
18.	जैसलमेर	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	2	12	20
19.	जालौर	0	0	0	2	0	1	9	0	2	1	3	23	41
20.	झालावाड़	1	1	2	10	1	2	48	1	0	9	5	89	169
21.	झुन्झुनूं	0	0	1	7	0	1	26	1	0	5	7	49	97
22.	जोधपुर	0	2	8	3	0	1	14	1	4	0	9	64	106

क्र. सं.	जिले का नाम	बालक से संबंधित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	आपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से संबंधित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से संबंधित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02)	धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से संबंधित (1000.01 से (1000.05)	विविध (1001.01 से (1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01) से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.	करौली	3	0	1	2	0	1	22	1	3	7	4	37	81
24.	कोटा	5	0	23	10	0	2	27	1	0	2	10	73	153
25.	नागौर	0	0	2	7	0	1	14	0	0	4	3	32	63
26.	पाली	0	1	3	8	0	1	18	0	3	1	10	67	112
27.	राजसमन्द	0	0	0	2	1	0	2	0	2	2	1	23	33
28.	स. माधोपुर	0	1	0	2	0	0	17	0	0	0	7	37	64
29.	सीकर	2	0	1	5	2	2	22	3	2	10	5	51	105
30.	सिरोही	0	1	0	1	0	1	6	0	1	0	5	41	56
31.	टोंक	1	1	1	12	0	2	16	0	1	3	4	40	81
32.	उदयपुर	0	2	10	1	1	1	21	0	0	6	9	71	122
33.	प्रतापगढ़	1	0	2	3	0	0	15	0	0	5	2	21	49
34.	राज्य से बाहर	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	22	24
	योग	**35**	**22**	**126**	**211**	**9**	**48**	**842**	**14**	**34**	**172**	**285**	**1777**	**3575**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

31 मार्च, 2011 तक कुल शेष प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का विषयवार वर्गीकरण

क्र. सं.	जिले का नाम	बालक से संबंधित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	आपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से संबंधित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से संबंधित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02)	धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से संबंधित (1000.01 से (1000.05)	विविध (1001.01 से (1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01) से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग	**12**	**14**	**92**	**42**	**2**	**13**	**275**	**10**	**13**	**58**	**114**	**104**	**749**